

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी:- लोगर

विपक्षी:- मगना

किस्म मुकदमा:-वाद

पत्रावली संख्या:-274 / 19

सन:- 2019

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---------|---|---|
| | <p>दिनांक 10.12.19</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत हैं। लम्बे समय से वादी द्वारा साक्ष्य नहीं करायी गई हैं। पूर्व में साक्ष्य वादी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाकर अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका हैं। किन्तु वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं। आज भी प्रकरण में पैरवी हेतु वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय समय में न्यायालय द्वारा रुक रुक कर तीन बार आवाज लगवाई गई। किन्तु वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। जिससे जाहीर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं। अथवा यह मुकदमा अब नहीं चलाना चाहते हैं।</p> <p>अतः वादी का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज किया जाता हैं।</p> <p>प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद किता शुमारी दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) गिर्वा – उदयपुर</p> | |

